पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 69 / 2025

1. गुरमेज सिंह पुत्र श्री रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु – 46 वर्ष निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. जगसीर सिंह पुत्र श्री रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु – 41 वर्ष निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

---वादीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र श्री अर्जन राम जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु – 68 वर्ष निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. श्रीमती गुरपिन्द्र कौर पुत्री रामलाल पत्नी श्री मलकीत सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 19, कोटली साबो तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब) 3. श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

डिक्री दिनांक 7/5/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सतार जोईया व प्रतिवादी वकील सुखवीर सिंह अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है वादी संख्या – 1 को चक नम्बर 2 एस. बी. एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या – 236 / 119 में प0न0 प0न0 222 / 204 (22) कि०न० 15 / 1 / .228, 15 / 2 / .025 है0 कृषि भूमि तथा वादी संख्या –2 को चक नम्बर 2 एस. बी. एन. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या – 236 / 119 में प0न0 222 / 204 (22) कि0न0 6 / 1 / .228, 6 / 2 / .025 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार वादीगण का खाता तकरीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे, तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।